(9)

बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/आ०2–29/2015 222 पटना, दिनांक: 04-09-19

कार्यालय आदेश

श्री प्रमोद कुमार चौबे, तत्कालीन अंचल अधिकारी,आन्दर अंचल, सीवान संप्रति अन्वेषक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, भोजपुर (आरा) के विरूद्ध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1024 (नि०को०)/रा० दिनांक–03.09.2015 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, सीवान के पत्रांक 1598/सी० दिनांक–22.06.2015 द्वारा समर्पित आरोप प्रपत्र के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०–251 सहपठित ज्ञापांक–1649 दिनांक–07.10.2015 द्वारा श्री प्रमोद कुमार चौबे पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमवाली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता, सीवान को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सीवान को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. अपर समाहर्त्ता, सीवान–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–37 मु०/रा०, दिनांक–20.02.2016 द्वारा श्री प्रमोद कुमार चौबे के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी ने निष्कर्ष दिया है कि " आरोपी पदाधिकारी श्री प्रमोद कुमार चौबे, तत्कालीन अंचलाधिकारी, आन्दर अंचल, सीवान संप्रति अन्वेषक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, भोजपुर (आरा) द्वारा दाखिल खरिज नियमावली, 2012 का कंडिका–3 (VI) के तहत दाखिल–खारिज वाद सं०563, 564, 566, 568, 569, 565/2013–14 को दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गई। लेकिन इसी सिडउल के फरीकेन त्रिलोकी नाथ सिंह के पुत्र ऋषि कुमार सिंह के द्वारा दिये गये एक आवेदन के आलोक में में अंचलाधिकारी द्वारा दिनांक29.04.2015 को एक नोटिस दिया गया कि मकान एवं दूकान में किसी तरह का परिवर्तन अगले आदेश तक नहीं किया जाय। इसी नोटिस के विरूद्ध कर्ण कुमार सिंह एवं अन्य के द्वारा जनता दरबार में एक परिवाद दायर किया गया जो आरोप का मुख्य आधार है।

इस संबंध में स्थिति स्पष्ट है कि सिडउल में त्रिलोकीनाथ सिंह के द्वारा भी सहमति नहीं की गई थी तो उनके पुत्र के द्वारा उक्त दाखिल–खारिज के निर्णय को मानना चाहिए था। फिर भी यदि उक्त आवेदन के आधार पर यदि नोटिस निर्गत किया गया तो यह संभव है कि स्थल पर कोई अशांति न हो, कोई अप्रिय घटना न हो या विधि व्यवस्था की समस्या का निदान हेतु किया गया होगा। जैसा कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बाद में उन सभी पक्षों को बुलाकर प्रक्रिया को समाप्त कर दी गई तथा दिनांक–13.05.2015 को वे उस अंचल से विरमित हो गये। मामला में शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए पु०अ०नि०, आन्दर थाना द्वारा भी दिनांक 28.07.2015 को 107 की कार्रवाई करने की अनुशंसा

अनुमंडल दंडाधिकारी, सीवान सदर को की गई है। वाद में त्रिलोकीनाथ सिंह के द्वारा सबजज प्रथम के न्यायालय में वाद दायर किया गया।

इस तरह तत्कालीन अंचलाधिकारी द्वारा सिर्फ एक आवेदन के आलोक में नोटिस निर्गत किया जाना कोई आरोप के रूप में साबित नहीं होता है क्योंकि अंचल अधिकारी के रूप में विधि व्यवस्था बनाये रखना भी उसके कर्त्तव्य का एक हिस्सा है। अतएव श्री चौबे पर लगाये गये एकल आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं।"

3. संचालन पदाधिकारी के उक्त जॉच प्रतिवेदन पर निदेशालय के पत्रांक–1773 दिनांक–09.08.2017 द्वारा जिला पदाधिकारी, सीवान से मंतव्य की मॉग की गयी। उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, सीवान ने पत्रांक–2781/सी० दिनांक–23.09.2017 द्वारा मंतव्य दिया है कि

" हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन एवं सभी फरीकैन के सहमति पर दाखिल–खारिज वाद संधारित कर उसकी स्वीकृति दी गई थी। श्री ऋषि कुमार सिंह द्वारा समर्पित ओवदन के आलोक में सभी फरीकैन को सुनवाई हेतु नोटिस निर्गत किया गया, जिसे सही कहा जा सकता है परन्तु श्री चौबे, अंचलाधिकारी, आन्दर को स्थगन आदेश निर्गत करने का अधिकार नहीं था। यदि विधि–व्यवस्था के दृष्टिगत स्थगन आदेश आवश्यक था तो उन्हें विहित प्रक्रिया अपनाते हुए दं०प्र०सं० की धारा 144 के अंतर्गत स्थगनादेश आदेश हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को प्रस्ताव भेजना चाहिए था। इस तरह उनके द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कार्य किया गया है।

इस प्रकार आरोपी अंचलाधिकारी, श्री प्रमोद कुमार चौबे का स्पष्टीकरण एवं विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी –सह–अपर समाहर्त्ता, सीवान का मंतव्य स्वीकार करने योग्य नहीं है।"

4. संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर जिला पदाधिकारी, सीवान से प्राप्त मंतव्य के आलोक में श्री प्रमोद कुमार चौबे पर संचालित विभागीय कार्यवाही में असहमति का निम्न बिन्दु गठित किया गया :–

" हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन एवं सभी फरीकैन के सहमति पर दाखिल–खारिज वाद संधारित कर उसकी स्वीकृति दी गई थी। श्री ऋषि कुमार सिंह द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में सभी फरीकैन को सुनवाई हेतु नोटिस निर्गत किया गया, जिसे सही कहा जा सकता है परन्तु श्री चौबे, अंचलाधिकारी, आन्दर को स्थगन आदेश निर्गत करने का अधिकार नहीं था। यदि विधि व्यवस्था के दृष्टिगत स्थगन आदेश आवश्यक था तो उन्हें विहित प्रक्रिया अपनाते हुए दं०प्र०सं० की धारा–144 के अर्न्तगत स्थगनादेश आदेश हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को प्रस्ताव भेजना चाहिए था। इस तरह आपके द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कार्य किया गया है जो आप पर गठित आरोप को प्रमाणित करता है।"

5. उक्त गठित असहमति के बिन्दु पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के तहत श्री चौबे के अभ्यावेदन प्राप्त किया गया । अपने अभ्यावेदन में श्री चौबे ने उल्लेख किया है कि " कर्ण कुमार सिंह के अपने हिस्से के अलावा अपने चाचा त्रिलोकीनाथ

सिंह के हिस्से में कार्य कराने एवं तोड़ने की कार्यवाही की जा रही थी जिसमें त्रिलोकीनाथ सिंह रहते थे। इस पर अनुमंडल पदाधिकारी, सीवान के मंतव्य लेने के बाद उनके द्वारा मौखिक (मोबाईल) पर कहा गया कि तत्काल कार्यवाही को रोककर कागजात की मॉग करें। इस संबंध में उनके द्वारा कार्य रोकने हेतु आदेश निर्गत किया गया था, चूँकि वह अभी कर्ण कुमार सिंह के हिस्से में नहीं था। वह उनके चाचा के हिस्से में था तथा कार्यलय के प्रधान सहायक के द्वारा हस्ताक्षरित कर कार्य रोकने हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस संबधं में उन्हें न ही प्रशिक्षण मिला था और न ही जानकारी थी कि उन्हें क्या करना है तथा वे झगड़ा को रोकने के लिए कार्य रोकने हेतु आदेश निर्गत किये।

उनके द्वारा सिर्फ झगड़ा–फसाद को बचाने के लिए कार्य रोका गया था। उनके रहते कहीं भी जमीन के झगड़े में मारपीट या खून खराबा नहीं हुआ है। इस संबंध में अपर समाहर्त्ता, सीवान भी उन्हें दोषमुक्त बताये हैं। यह कार्य सांख्यिकी से संबंधित नहीं है। इसलिए उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। स्थगन आदेश निर्गत करने का मुख्य उद्देश्य था कि कर्ण कुमार सिंह द्वारा जो कार्य किया जा रहा था वह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। जमीन वगैरह का हिस्सा बँटवारा के अनुसार दखल में था। लेकिन मकान के संबंध में बँटवारा में लिखा गया था कि भविष्य में मकान गिरेगा तो जिसके हिस्से में पडेगा वो लेगा, लेकिन वर्त्तमान में जिसके दखल में जो हिस्सा है उसका किराया भी वर्त्तमान मकान मालिक लेगा। कर्ण कुमार सिंह अपने चाचा के हिस्से के मकान तोड़ रहे थे, जो कि वर्त्तमान में उनके हिस्से मे नहीं था, वे त्रिलोकीनाथ के हिस्से में काम लगाये थे जिसकी जानकारी उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सीवान को दिया गया था।''

श्री चौबे का यह कहना कि कार्यालय के प्रधान सहायक के द्वारा हस्ताक्षरित कर कार्य रोकने हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसपर उनके द्वारा झगड़ा फसाद को रोकने के लिए कार्य रोकने हेतु आदेश निर्गत किया गया, को संतोषजनक उत्तर नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अंचल अधिकारी के पद पर होने के नाते इनकी जिम्मेवारी बनती थी कि रैयती जमीन पर विवाद होने पर विहित प्रक्रिया अपनाते हुए दं०प्र०सं० की धारा 144 के अन्तर्गत स्थगनादेश आदेश हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को भेजते, जो इनके द्वारा नहीं कर नियम के विरूद्ध स्वयं स्थगन आदेश निर्गत किया गया। अतः इनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

6. उक्त वर्णित असहमति के गठित बिन्दु के प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रमोद कुमार चौबे पर संचयी प्रभाव के बिना दो वेतन वृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

7. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री प्रमोद कुमार चौबे, तत्कालीन अंचलअधिकारी,आन्दर अंचल, सीवान संप्रति अन्वेषक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, भोजपुर (आरा) पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 में किये गये प्रावधानों के तहत संचयी

प्रभाव के बिना दो वेतन वृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है। यह दंड पूर्व में दिये गये किसी दंड के अतिरिक्त होगा।

8. यह दंड निदेशालय के का०आ०सं०–147 सहपठित ज्ञापांक–867 दिनांक 12.04.2018 द्वारा पूर्व में संचयी प्रभाव के बिना दो वेतन वृद्धि रोकने का दिये गये दंड के समाप्ति के उपरांत लागू होगा।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०1/आ०2–29/2015 1699 पटना, दिनांक : 04-09-19

प्रतिलिपि :–सचिव के आप्त सचिव,योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, सीवान को उनके पत्रांक 1598/सी० दिनांक–22.06.2015 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, भोजपुर(आरा)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–1024 (नि०को०)/रा० दिनांक–03.09.2015 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला कोषागार पदाधिकारी, सीवान/ भोजपुर(आरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सीवान/ भोजपुर(आरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री प्रमोद कुमार चौबे, तत्कालीन अंचलअधिकारी,आन्दर अंचल, सीवान संप्रति अन्वेषक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, भोजपुर (आरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 02/09